न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 09 / 2015 / अपील

1 दिलीपसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपूत
2 भोमसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपूत
निवासीगण ग्राम रामल्यास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्टस

बनाम

1 रामवतीदेवी पत्नी रामचन्द्र यादव निवासी ग्राम बिन्दाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
2 महावीरसिंह
3 बजरंगसिंह
4 हनुमानसिंह
} पुत्रगण बचनसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम रामल्यास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
5 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1263 दिनांक 04.12.2010 द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

वकील अपीलांट श्री रामावतार
वकील रेस्पोडेंट श्री भागीरथ चौधरी

निर्णय   **दिनांकः–26.08.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2645 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 2648 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 2649 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 2654 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 2655 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 2661 रकबा 0.99 है0, खसरा नम्बर 2665 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 2684 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 2685 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 2686 रकबा 0.03 है0 तन टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर पर पूर्वजो के समय से अपीलार्थीगण का एकाकी कब्जा काश्त व खातेदारी चली आ रही है। इन सभी भूमियों के चारो और दीवार बना कर अपीलान्टस के एकाकी अधिकार मे है एवं सदैव से अपीलान्टस का कब्जा काश्त मौजूद है लेकिन खातेदारी मे गलत अंकन के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 ने 1/2 हिस्से का फर्जी व नुमाईश विकय–पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक मे करवा दिया जिसकी आड़ मे तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1263 दिनांक 04.12.2010 को भर दिया गया। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियॉ पूर्वजो के समय से अपीलान्टस के एकाकी कब्जे काश्त मे है एवं चारो तरफ सींव नींव कायम की हुई है। जमाबन्दी मे 1/2 हिस्सा के अंकन होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक मे नुमाईसी विकय–पत्र तस्दीक करवा दिया व उसकी आड़ मे अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web copy, Not Official

की जाकर सन्तुष्टि होने पर ही नामान्तरकरण आदेश दिया जा सकता है। अपीलाधीन नामान्तकरण मात्र इस तथ्य पर ही यह नोट लगा कर आदेश दे दिया कि बैचान–पत्र के आधार पर नामान्तकरण भर कर तस्दीक किया जाता है। अतएवं कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना किया गया आदेश नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1263 दिनांक 04.12.2010 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तकरण के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौति देने के सम्बंध में अपील मेंमों में किसी प्रकार का कोई तथ्य अंकित नहीं किया है एवं ना ही इस सम्बंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौति देकर शून्य घोषित किये जाने के उपरांत अपीलाधीन नामान्तकरण पर विचार किया जा सकता है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौति दिये बिना केवल मात्र अपील के माध्यम से अपीलाधीन नामान्तकरण को चुनौति देना विधि सम्मत एवं न्यायसंगत नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/8/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official